

Roll No. :

Total No. of Questions : 11]

[Total No. of Printed Pages : 4

PLB-209

LL.B. (IInd Year) Examination, 2021

ADMINISTRATIVE LAW

Paper - 2.8

(For Old Scheme Students Paper 2.7)

Time : 1½ Hours]

[Maximum Marks : 100

Section-A

(Marks : 2 × 10 = 20)

Note :- Answer all *ten* questions (Answer limit **50** words). Each question carries **2** marks.

(खण्ड-अ)

(अंक : 2 × 10 = 20)

नोट :- सभी **दस** प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा **50** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **2** अंक का है।

Section-B

(Marks : 7 × 5 = 35)

Note :- Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit **200** words). Each question carries **7** marks.

(खण्ड-ब)

(अंक : 7 × 5 = 35)

नोट :- सभी **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए (उत्तर-सीमा **200** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **7** अंक का है।

Section-C

(Marks : 15 × 3 = 45)

Note :- Answer any *three* questions out of five (Answer limit **500** words). Each question carries **15** marks.

(खण्ड-स)

(अंक : 15 × 3 = 45)

नोट :- पाँच में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा **500** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **15** अंक का है।

BI-1122

(1)

PLB-209 P.T.O.

Section–A

(खण्ड–अ)

2 each

1. (i) Explain Laissez-fair.
लेसज-फेयर को समझाइए।
- (ii) Explain 'Audi Alteram Partem'.
ऑडी अल्टरेम पार्टम को समझाइए।
- (iii) Explain Nepotism.
नेपोटिज्म को समझाइए।
- (iv) Explain writ of habeas corpus.
बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझाइए।
- (v) Explain Section 11 of Right to Information Act, 2005.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 क्या है ?
- (vi) Explain Delegated Legislation.
प्रत्यायोजित विधायन क्या है ?
- (vii) Explain Right to Counsel.
राइट टू काउन्सल क्या है ?
- (viii) Distinction between Quasi-judicial and administrative functions.
अर्द्ध-न्यायिक व प्रशासनिक कृत्यों में अन्तर बताइए।
- (ix) Explain Rule of Law.
विधि का शासन क्या है ?
- (x) Kinds of Writs.
रिट के प्रकार।

Section–B

(खण्ड–ब)

7 each

2. Explain relation between constitutional law and administrative law.
संवैधानिक विधि व प्रशासनिक विधि में संबंध बताइए।

Or

(अथवा)

Explain nature and scope of Administrative Law.

प्रशासनिक विधि की प्रकृति व कार्य क्षेत्र को समझाइए।

3. Explain legislative control on delegated legislation.

प्रत्यायोजित विधायन पर विधायी नियंत्रण को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain judicial control on delegated legislation.

प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण को समझाइए।

4. Explain powers and procedures of administrative tribunals.

प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शक्तियाँ व प्रक्रिया को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain writ of mandamus.

रिट ऑफ मेन्डेमस को समझाइए।

5. Explain writ of certiorari.

उत्प्रेषण याचिका को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain writ of prohibition.

प्रतिषेध याचिका को समझाइए।

6. Explain powers and procedures of appointment of Lokpal.

लोकपाल की शक्तियाँ व नियुक्तियों को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain parliamentary control on delegated legislation.

प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण को समझाइए।

Section-C

(खण्ड-स)

15 each

7. Explain powers and functions of civil services in India.
भारत में सिविल सेवाओं की शक्तियाँ व कृत्य को समझाइए।
8. "Delegatus of Delegatus is prohibited." Explain.
"प्रत्यायोजन का प्रत्यायोजन निषेध है।" समझाइए।
9. Distinguish between tribunal and court.
न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में अन्तर स्थापित कीजिए।
10. Explain powers and functions of Lokayukta.
लोकायुक्त की शक्तियाँ व कृत्य बताइए।
11. State the facts, contention of parties, decision of court and principles of law laid down in re Delhi Laws Act, AIR 1951 SC. 332.
इन रि दिल्ली लॉज एक्ट, AIR 1951 SC 332 वाद के तथ्यों, पक्षकारों के तर्कों, न्यायालय के निर्णय और विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।